Board of Naturopathy System of Medicine Uttar Pradesh
Under I.S.P.S Regd.S.R.Act XXI 1860{I-53559}(M)
By Government of Uttar Prades
Nat. Recognized by the Govt.of India & other states
No.301/3/80/15-June-1981 Ministry of Health Govt. of India.
No.R-14015/25/96 U & H (R) (Pt) 25-Nov-2003 Ministry of Health Govt.of India
Vidhayika Anubhag-1 No.1227/17/1-3-1981 Luck. 17-04-1982 Govt.of U.P.

Ref No. 590/Info./Regis./BNSMUP/2024

दिनांकः—09.10.2024

सेवा मे,

माननीय
प्रमुख सचिव आयुष विभाग
ऊ प्र सरकार
लखनऊ (ऊ०प्र०)

EU348428159IN IVR:6985348428159 भारतीय डाक
SPP BULANDSHAHR HO (203001)
Counter No:1,09/10/2024,14:00
To:PRINCIPAL SEC,AYUSH VIBHAG
PIN:226001, Lucknow GPO
From:ASHOK KUMAR,AMAR MAYA COLONY
Wt:650gms
Amt:0.20,PS:106.00Tax:16.20,Amt.Paid:0.00
(Track on www.indiapost.gov.in)

विषय— नेचुरोपैथी एंव योगा /प्रचार—प्रसार, शिक्षा एंव चिकित्सा सेवा की जानकारी के सन्दर्भ मे।

माननीय महोदय जी

आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार ने अभी तक नेचुरोपैथी एवं योगा के कोर्स चलाने, संस्था की मान्यता संबंधता,कोर्से हेतु नेचुरोपैथी एवं योगा चिकित्सकों के पंजीयन के लिए अभी तक सरकार ने कोई कानून , सरकारी बोर्ड, परिषद, का गठन नहीं किया है जिसके कारण नेचुरोपैथी एवं योगा चिकित्सकों का संस्थाओ का उत्पीड़न हो रहा है जब कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने आदेश दिया है नेचुरोपैथी एवं योगा के शिक्षा और चिकित्सा अभ्यास करने का पूरा अधिकार है और भविष्य मे भी शिक्षा एवं चिकित्सा का अधिकार जारी रहेगा राज्य सरकार इस की चिकित्सा या शिक्षा देने पर कोई रोक नहीं लगा सकती है तथा सरकार भारतीय चिकित्सा संस्था (आर्जेन एवं पिरकीर्णउपबंध)अधिनियम1982के अध्याय-4 के अधीन नियमावली बनायी जाये उसके उपरांत भी नेचुरोपैथी एवं योगा की चिकित्सा या शिक्षा मे उत्पीड़न हो रही है

यह संस्था सरकार से पंजीकृत उध्शेयों के अनुरूप और ऊ०प्र० सरकार, भारत सरकार के आदेश के अनुरूप ही ईच्छुक अभ्यर्थियों को नामित कर प्रशिक्षण देने का कार्य करती है प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत ही डिप्लोमा के रूप मे प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाते है जो विधि मान्य है क्योकि सरकार से पंजीकृत संस्था उन कोर्सो का संचालन कर सकती है और डिप्लोमा भी दे सकती है जिसके लिए सरकार ने कोई नियम कानून नहीं बनाये हो अभी तक नेचुरोपथी एवं योगा के लिए भारत सरकार ने कोई नियम कानून नहीं बनाये है

1- इसी तरह अभी सरकार द्वारा नेचुरोपैथी एंव योगा के लिए कोई नियम कानून नही है जिसका स्पस्टीकरण आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड लखनऊ के **पत्र** दिनॉक 21 / 12 / 2021 16.02.2023 .के अनुसार सरकार द्वारा नेचुरोपैथी एंव योगा का पाठयकम निर्धारण, मान्यता सम्बन्धता के लिए कोई नियम कानून नही बना है और न ही कोई बोर्ड का गठन हुआ है जैसे ही सरकार द्वारा कोई नियम कानून बना दिये जायेगे उन सभी नियमो ऐव कानून का हम तुरन्त पालन करेगे ।

2- जैसे बोर्ड आफॅ नेचुरोपैथी सिस्टम आफॅ मेडिसन उ0प्र0 ने जिसकी विधिवत रूप से जानकारी दिनॉक 25-03-2010, 22-12-2014 और 11-04-2015 ,06-04-2018,16-11-2019 27-01-2023 को रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा परिषद लखनऊ दी गयी है । कॉपी संगलन